टेलीफोन नं.–0522–7106628
E Mail :- ctcpup@gmail.com

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

टी.सी.जी. / 1–ए–वी / 5, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

पत्रांक 62 / स.नि.(के) / अमृत विविध / 2023–24, दिनांकः 08/09/2023

सेवा में

1. **चीफ को–ऑर्डिनेटर प्लानर**
   एन.सी.आर. सेल,
   गाजियाबाद।

2. **सहयुक्त नियोजक,**
   समस्त सम्भागीय नियोजन खण्ड
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेण्ट 2023–24 हेतु चिह्नित नगरों की भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत तैयार की जा रही जी.आई.एस. आधारित महायोजना की समस्त कार्यवाही प्राथमिकता पर पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपरोक्त विषयक कृपया संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के पत्र संख्या 2054 / आठ–3–2023 एवं 2054(1) / आठ–3–2023 दिनांक 01 सितम्बर 2023 (छायाप्रति संलग्न), जो उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन 59 नगरों की जी.आई.एस. आधारित महायोजना–2031 (प्रारूप) को 30 जून 2023 तक तैयार किये जाने हेतु समय–सीमा निर्धारित किया गया था, किन्तु अभी अधिकांश नगरों की महायोजना प्रारूप को अन्तिम स्वरूप नही दिया जा सका है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की योजना स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेण्ट–2023–24 (नगरीय सुधार योजना) सम्बन्धी प्रस्ताव में नगरों की महायोजनाओ को अन्तिम स्वरूप दिया जाना भी सम्मिलित है।

2 उक्त के क्रम में महायोजना के अन्तिम अनुमोदन के सम्बन्ध में समस्त अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करते हुये प्रस्तुतीकरण की प्रति सहित महायोजना (प्रारूप) शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के दिशा–निर्देशों के आलोक में प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करते हुये महयोजना–2031 (प्रारूप) का कार्य शीघ्र पूर्ण करानें का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(अनिल कुमार मिश्र)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक /
नोडल अधिकारी

पत्रांक एवं दिनांकः– तदैव।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ.प्र.(अयोध्या एवं उरई को छोड़कर) ।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र., लखनऊ।

8-9-23

(अनिल कुमार मिश्र)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक /
नोडल अधिकारी